

परियोजना का नाम :- मसूरी सीवरेज योजना (आरकेडिया ज़ोन)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।


(प्रयोक्ता एजेन्सी) Engineer
Construction Division
Uttarakhand Rajjal Nigam
Mussoorie (Dehradun)


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी राजि
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी


प्रशासक वन अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी राजि
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी